

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/185

दिनांक:- 30/6/2020

### आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 242 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-2020 के बिन्दु संख्या 242.22 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल की कंचनजंगा अपार्टमेन्ट, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर एवं रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना, कोठपुतली में उपलब्ध सम्पत्तियों को सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की अनुशंसा के आधार पर आवास/फ्लेटों की छूट 0-25% से बढ़ाकर 0-50 प्रतिशत स्लेब में करने एवं ई-ऑक्शन के स्थान पर बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड/आवास संख्या	कुल संख्या
1-	कंचनजंगा अपार्टमेन्ट, इंदिरा गांधी नगर, जयपुर	MIG-B (B+S+9) Flat	8/MB/B2/703, 8/MB/B2/704, 8/MB/B2/708, 8/MB/B2/906	4
2-	रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना, कोठपुतली	ई-डब्ल्यू.एस.	2-D-26	1
एम.आई.जी.-ए,		1-A-11, 1-A-14, 1-B-5, 1-D-2, 1-F-2, 1-F-4, 4-C-9,	7	
एम.आई.जी.-ए,		3-E-2, 3-E-11	2	
उच्च आय वर्ग		3-A-5, 3-B-15	2	
			<b>कुल महत्वपूर्ण सम्पत्तियां</b>	<b>16</b>

( पवन अरोड़ा )  
आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम/ग्याहर/तेरह, रा0आ0म0, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. मास्टर पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक